

66 कृष्ण १९ घाट निर्वाचन क्षेत्र से
निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम) (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए
रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अंतर्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने, वाला शपथ पत्र.

आफिसर के समक्ष अस्थिया द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।
मैं..... ३ सिंह..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ३२-५ जन. सिंहआयु ३५ वर्ष
का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन में अस्थर्थी हूँ

...जो सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता है कि उसकी वाले शक्ति परे निम्नालिखित कथन करता हैं/कहती हैं:-
 1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए

का / का जानकारी प्रस्तुत करें। यदि अभिलाखी ऐसे किसी अपराध(अपराधों)का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएँ ३५८।/२००६, ९७।/२००६

(II) - पश्चिम थाना (थाने). क्रमांक ५२, पश्चिम थाना लिला (जिल) कुंडली नगर में स्थित अधिनियम (आधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए अन्यर्थ आयोगित किया गया है। ५२, ३, १९, ८०४, ६७६, P.C. कोड १५३, १५४, ३८३, ५ (जिनक) लिए अन्यर्थ आयोगित किया गया है। ५२, ३, १९, ८०४, ६७६, P.C. कोड १५३, १५४, ३८३, ५

(IV) न्यायालय, जिसको (जिनको) द्वारा आरोपित (आरोपी) को विस्तृती की जांच है । ३. सं. नं. २५२ अंत में ज. भाष्टि जल जूँ
 (V) तारीख (तारीखों) जिनको आरोप विरचित किया गया थे । ४. चारा धीन अंत तक तारीख न्यायालय द्वारा रोकी गई है / हैं । क्रमांक ५२

(V) तार्क (.....),
(VI) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रायगं नहीं है, नहीं

2. गुड़ो किसी अपराध(अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/ नहीं किया गया है।

” वे व्यक्ति जिसने और दंडादिष्ट किया गया है तो वह

(यदि अग्रिसाक्षी उपर्युक्त चिन्हितवां ज्ञानकारी प्रस्तुत करेगा)

(I) गागला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं.....ताजी नहीं

(II) न्यायालय, जिसने दंडित किया है.....
 f: जिला (लाइन) नं. १७

(III) पुलिस थाना (थाने).....जिला (ज़िल).....भूमि (भूमि) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके

(IV) सम्बन्धित अधिनियम (अधिनियमों का धारा (धारा४) और उस अन्वयम्) के लिए अर्थर्थी कभी आरोपित किया गया है.....
(11) अर्थर्थी

(V) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था / सुनाए गए थे.....
.....होमा है / होके गए हैं.....

(V) ताराख (ताराख) जिनका दृढ़ विकास हुआ है।
 (VI) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं? जारी बनाएं।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

स्थानः— ३५५२

तारीखः— ०७/०१/२०१३

सत्यापन

गैं, ऊपर नामित अभियाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता / करती हूँ कि इस शापथ पत्र की अंतर्वर्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग गिर्धा नहीं है और कोई तात्परिक बात छिपाई नहीं गई है।.....
.....पात्र आज तारीख / / 9..... को सत्यापित किया।

स्थान पर आज तारीख ०७/०१/२०१२

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

पृष्ठ 15 का 6